रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18082020-221197
CG-MH-E-18082020-221197

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2020/ श्रावण 27, 1942
No. 323] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2020/SHRAVANA 27, 1942

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 11 अगस्त, 2020

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020

सं. फेमा 6(आर) / (2) / 2020-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा- 47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/ आरबी-2015) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2020 कहलाएगी ।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 3 में संशोधन

मूल विनियमावली में विनियम 3, उप-विनियम 1 में "उप-विनियम(1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर" से प्रारंभ होने वाले तथा "बैंक द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन भारत सरकार और/ अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मुद्रा नोट" से समाप्त होने वाले भाग को हटा दिया जाएगा।

3. नए विनियम 9 को समाविष्ट करना

मूल विनियमावली में विनियम 8 के पश्चात निम्नलिखित नए विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात:

"**9. करेंसी के निर्यात अथवा आयात के लिए अनुमति देने संबंधी रिज़र्व बैंक की शक्तियाँ :** इस विनियमावली में निहित किसी भी बात के होते हुए भी रिज़र्व बैंक उसे किए गए आवेदन पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, किसी व्यक्ति को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन भारत सरकार और / अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों को भारत के बाहर किसी देश में ले जाने या भेजने अथवा किसी देश से भारत में ले आने की अनुमति दे सकता है।"

अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./181/2020-21]

पाद टिप्पणी :

मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर.सं.1004 (अ) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में 26.02.2019 के जी.एस.आर.सं.151(अ) द्वारा इसे संशोधित किया गया।

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, The 11th August, 2020

Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2020

No. FEMA 6 (R)/ (2)/2020-RB.—In exercise of the powers conferred by clause (ga) of sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015 (Notification No. FEMA 6 (R)/RB-2015 dated December 29, 2015) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely: —

1. **Short title & Commencement:**

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) (Amendment) Regulations, 2020.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment to Regulation 3**

In the Principal Regulations, in Regulation 3, sub- regulation 1, the portion beginning with "Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1)" and ending with "currency notes of Government of India and/or of Reserve Bank of India subject to the terms and conditions as the Bank may stipulate" shall be omitted.

3. **Insertion of new Regulation 9**

In the Principal Regulations, after Regulation 8, the following new regulation shall be inserted, namely, -

> "9. **Reserve Bank's power to permit export or import of currency:** Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reserve Bank may, on an application made to it and on being satisfied that it is necessary to do so, allow any person to take or send out of India to any country or bring into India from any country currency notes of Government of India and /or of Reserve Bank of India subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may stipulate."

AJAY KUMAR, Regional Director
[ADVT.-III/4/Exty./181/2020-21]

Foot Note:
The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide GSR No.1004(E) dated December 29, 2015 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended vide: G.S.R. No. 151(E) dated 26.02.2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA